कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(कॉपरेटिव) की बैठक सं0 20/2001 दिनांक 7-8-2001 को प्रातः 10.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण -

---

समिति के निम्न सदस्यों ने बैठक में भाग लिया -

1- श्री अतुल शर्मा, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री ए.के. गुप्ता, निदेशक(आयोजना) जविप्रा, जयपुर ।
3- श्री पी.आर. शर्मा, निदेशक(वित्त) जविप्रा, जयपुर ।
4- श्री आर. दयाल, निदेशक(अभियांत्रिकी) जविप्रा, जयपुर ।
5- श्री ए.एन. भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(कॉपरेटिव) जविप्रा, जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारियों ने भी भाग लिया -

1- श्री एन.के. गुप्ता, उपायुक्त, जोन ए-2, जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री मुकेश मित्तल, सहायक नगर नियोजक(कॉपरेटिव)जविप्रा, जयपुर ।
3- श्री देवेन्द्र कुमार सैनी, सहायक नगर नियोजक, ए-2, जविप्रा, जयपुर।

---

(1) भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(कॉपरेटिव) की बैठक सं0 18/2001 दिनांक 23-7-2001 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण बाबत ।

समिति द्वारा कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी ।

(2) एजेण्डा आईट्मस -

2.1- एजेण्डा सं0 20/2001- 1 :- खुदाबादी सोनार गृ.नि.स. समिति की योजना जिया कॉलोनी :-

उपायुक्त, जोन ए-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बतायी गयी मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-विमर्श योजना का अनुमोदन निम्नांकित शर्तों के साथ किया गया -

1. सड़को की चौड़ाई योजना में प्रस्तावित अनुसार रखी जाये ।
2. योजना की सीमा भूखण्ड सं0 1,19,20, 21, 22, 31 के के साथ मानी जायेगी और भूखण्ड सं0 26 के प्रोजेक्टेड (भूखण्डों की लाइन से बाहर निकले) भाग को समाप्त किया गया ।

.....2

3· सभी भूखण्ड़ों में सामने का फ्रन्ट सैट बैक 10 फिट का एवं पीछे का सैट बैक 5 फिट रखते हुए रो-हाऊसिंग के रूप में अनुमोदित किया गया ।

4· चूंकि मौके पर अधिकांश भूखण्डों पर निर्माण हो चुका है अत: राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प-5(3)नविवि/3/99 दिनांक 10-7-99 के अनुसरण में शिथिलता प्रदान करते हुए 89·5% आवासीय क्षेत्र अनुमोदित किया गया ।

2·2- एजेण्ड़ा सं0 20/2001- 2 :- अपोलो नगर गृ·नि·स· समिति की योजना रहीम नगर :-

वरिष्ठ नगर नियोजक(कापरेटिव) द्वारा प्रस्तुत एजेण्ड़ा एवं उपायुक्त जोन ए-2 द्वारा बतायी गयी मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-विमर्श योजना का अनुमोदन निम्नांकित शर्तों के साथ किया गया -

1· योजना के कुछ भूखण्ड़ लो-लाइंग क्षेत्र में आते है अत: उपायुक्त, जोन ए-2, उप नगर नियोजक(कापरेटिव) एवं जोनल अभियंता, जोन ए-2 की एक समिति गठित की गयी जो लो-लाइंग क्षेत्र में आने वाले भूखण्डों का ब्यौरा देगी ।

समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और समिति द्वारा दिये गये प्रस्ताव के अनुसार योजना के भूखण्ड़ सं0 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24ए, 24 बी, 25 व 26 नाले तथा लो-लाइंग क्षेत्र में आने के कारण अस्वीकृत किये गये । भूखण्ड़ सं0 20 भी अस्वीकृत किया गया ।

2· निर्धारित सैट बैक छोड़ने के पश्चात् भूखण्ड़ सं0 एस-4 में आच्छादित क्षेत्र नहीं मिलता है अत: अस्वीकृत किया गया ।

3· योजना में प्रस्तावित सभी लेन 10 फिट की व रोड़ न्यूनतम 20 फिट अनुमोदित की गयी ।

2·3- एजेण्ड़ा सं0 20/2001- 3 :- भारत भवन गृ·नि·स· समिति की योजना हसनपुरा, यूनिट नं0 3, मौके पर शांति नगर के अनुमोदन के संबंध में :-

वरिष्ठ नगर नियोजक(कापरेटिव) द्वारा प्रस्तुत एजेण्ड़ा एवं उपायुक्त, जोन ए-2 द्वारा बतायी गयी मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श

···3

किया गया । बाद विचार-विमर्श योजना का अनुमोदन निम्नांकित शर्तों के साथ किया गया -

1. भूखण्ड सं0 11ए में 3 फिट चौड़ी गली का रास्ता है अत: इसे अस्वीकृत किया गया ।
2. योजना में प्रस्तावित सभी सड़कों की चौड़ाई न्यूनतम 30 फिट की गयी।
3. एजेण्डा में समिति द्वारा 975.00 व.ग. अधिक भूमि पर योजना प्रस्तावित करना बताया गया है । इस बाबत स्वीकृत योजना के क्षेत्रफल की गणना उपायुक्त, जोन द्वारा पुन: की जाये और तदानुसार नियमन रेट की गणना की जाये ।
4. चूंकि मौके पर अधिकांश भूखण्डों पर निर्माण हो चुका है अत: राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प-5(3)नविवि/3/99 दिनांक 10-7-99 के अनुसरण में शिथिलता प्रदान करते हुए 60% से अधिक आवासीय क्षेत्र अनुमोदित किया गया ।
5. भूखण्ड सं0 16 से 29 के पश्चिम में स्थित राजकीय भू-पट्टी को ज. वि प्रा. भूमि अंकित किया जावे एवं इस भू-पट्टी के सामने मौके पर 26फि से 32 फिट चौड़ी रोड़ उपलब्ध है । पूरी लम्बाई में इस रोड़ की चौड़ाई देखकर इस रोड़ की चौड़ाई निर्धारित करने एवं शेष रहने वाली जविप्रा भू-पट्टी के उचित निस्तारण हेतु जोन द्वारा प्रस्ताव तैयार किये जाये ।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई ।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(कापरेटिव)
जविप्रा, जयपुर ।

क्रमांक: जविप्रा/वननि/कापरेटिव/2001/डी-191
दिनांक : 23/8/2001
प्रतिलिपि :-

1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर ।
2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
3- निदेशक(आयोजना)/(वित्त)/(विधि)/(अभियांत्रिकी)जविप्रा, जयपुर
4- उपायुक्त/प्राधिकृत अधिकारी/ सहायक नगर नियोजक, जोन ए-2, जविप्रा, जयपुर ।
5- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर ।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(कापरेटि